न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 04/21 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/150

उनवान

1. किशन सिंह
2. रामकिशन
3. ओमप्रकाश उर्फ ओमी

} पुत्रान धान्धोली जाति जाटव निवासी लाल दरवाजा, कस्बा बयाना, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. स्व0 हरभेजी पुत्री घीसा (मृत) पत्नी संपत
   1/1. बाबूलाल पुत्र संपत निवासी ग्राम हतीजर, तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/2. रामकुमार पुत्र संपत निवासी ग्राम हतीजर, तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/3. नत्थो पुत्री संपत पत्नी स्व0 सियाराम निवासी लोधाधडी तहसील व जिला भरतपुर।
   1/4. शान्ति पुत्री संपत पत्नी चंद्रपाल निवासी लोधाघडी तहसील व जिला भरतपुर।
   1/5. लक्ष्मी पुत्र संपत पत्नी बैनीप्रसाद, निवासी ग्राम बराखुर तहसील व जिला भरतपुर।
2. चमेली पुत्री घीसा पत्नी भगवत निवासी हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. सोनदेई पुत्री घीसा (मृत) पत्नी ठुकरी निवासी संतनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
   3/1. अतर सिंह
   3/2. प्रकाश
   3/3. सोनी

   } पुत्रगण ठुकरी जाति जाटव नि0 संतनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. मोहनदेई पत्नी धर्म सिंह
5. रामकिशन (मृत) पुत्र धर्म सिंह
   5/1. विरमादेवी पत्नी स्व0 रामकिशन
   5/2. जीतेश कुमार पुत्र स्व0 रामकिशन
   5/3. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 रामकिशन
6. शंकर पुत्र धर्म सिंह
7. सतीश पुत्र धर्म सिंह
8. मनोज पुत्र धर्म सिंह
9. रिंकू उर्फ अमित कुमार पुत्र धर्म सिंह

   } जाति जाटव निवासी लालदरवाजा कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
10. देवी उर्फ भगवती पुत्री धर्म सिंह ऊपर पहाड, शिवपुरी, फतहपुर सीकरी, तहसील किरावली जिला आगरा।
11. राजस्थान सरकार।

..... असल रेस्पोंडेंट।

12. शीला उर्फ कमलेश पुत्री धन्धोली पत्नी रमेश निवासी उन्देरा, फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

13. नत्थो पुत्री मान सिंह निवासी उन्देरा, फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली जिला आगरा।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

प्रार्थना पत्र विविध विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना आदेश दिनांक 24.03.2021 मुकदमा नम्बर 63/21 उनवानी किशन सिंह बनाम हरभेजी आदि व सिलसिले इजराय किशन सिंह बनाम हरभेजी कैफीयत क्रंमाक 117 दिनांक 19.01.2004

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलांट।
2. श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–30.10.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2021 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक रिमान्डर प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2021 को इस बाबत् पेश किया गया था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2001 उनवानी किशन सिंह आदि बनाम हरभेजी आदि की पालना हेतु न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, इजराय दिनांक 19.01.2004 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बयाना से पालना रिपोर्ट तलव की जावें साथ ही साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा इजराय की पालना हेतु जारी कैफीयत आदेश क्रंमाक 117 दिनांक 19.01.2004 की प्रति पेश कर अधीनस्थ न्यायालय से रिमाण्डर जारी करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2001 की पालना हेतु नियत समय अवधि 12 वर्ष के भीतर इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2004 को प्रस्तुत कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में यह अंकित किया जाना कि लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् कोई आवेदन पत्र व इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया कतई कानून के विरूद्ध अंकित किया गया है। जबकि कानूनन इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पश्चात् न्यायालय का यह कर्तव्य व दायित्व है कि इजराय की पालना हेतु तहसीलदार को कार्यवाही हेतु आज्ञा जारी करे तथा इजराय प्रार्थना पत्र का विधि पूर्ण निस्तारण किया जावें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है। एक बार इजराय प्रार्थना पत्र नियत समय अवधि 12 वर्ष के भीतर प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् कोई मियाद इजराय में रिमाण्डर प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु नियत नहीं है। इजराय प्रार्थना पत्र सन् 2002 से लगातार विचाराधीन है। अतः मियाद का बिन्दु लागू नहीं होगा। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट की अपील भी पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रार्थी द्वारा डिक्री दिनांक 27.06.2001 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय में जारी पत्रांक संख्या 117 दिनांक 19.01.2004 के अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार को आदेश जारी होना प्रमाणित माना है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2001 की पालना हेतु नियत समय अवधि 12 वर्ष के भीतर इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2004 को प्रस्तुत कर दिया था। कानूनन इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् न्यायालय का यह कर्तव्य व दायित्व है कि इजराय की पालना हेतु तहसीलदार को कार्यवाही हेतु आज्ञा जारी करें तथा इजराय का विधिपूर्ण निस्तारण करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो इजराय का विधिपूर्ण निस्तारण किया गया है और ना ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की संबंधित तहसीलदार से पालना ही करायी गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 24.03.2021 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अन्यथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इजराय मानते हुये एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये, निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2001 की विधिवत पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर